न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 65/2020 (जीसीएमएस नम्बर–2020/00074)

1. गंगाराम पुत्र हरसहाय, जाति गुर्जर, निवासी सिकन्दरा, तहसील सिकराय जिला दौसा राज.।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उप तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 28.08.2015 अपील संख्या 204/2015 उनवानी सरकार बनाम गंगाराम एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 27.01.2016 प्रकरण संख्या 121/2016 उनवानी गंगाराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित किये गये हैं।

उपस्थित :–

1. श्री निर्मल कुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट अनुपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक–01.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 27.01.2016 एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 28.08.2015 के विरूद्ध पेश की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 28.08.2015 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध संवत 2072 में वाके ग्राम सिकन्दरा, तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 1417 रकबा 10 बिस्वा पर कास्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अतिक्रमण शुदा रकबे से बेदखल किये जाने व 50 गुणा पैनल्टी कायमी के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2016 द्वारा खारिज कर दी गयी।
3. उप तहसीलदार सिकन्दरा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 28.08.2015 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 27.01.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा, जिला दौसा दिनांक 28.08.2015 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता अनुपस्थित। बहस रेस्पोडेन्ट सुनी गयी।
5. अपीलान्ट की अपील मीमों में अंकित तथ्यों में मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि योग्य अधीनस्थ हर दो न्यायालयों का निर्णय विधि विरूद्ध तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ हर दो न्यायालयों ने अप्रार्थी अपीलान्ट द्वारा जवाब को ध्यान में नहीं रखते हुये यह निर्णय पारित कर दिया है, क्योकि अपीलान्ट ने अपने जवाब में लिखा है कि भूमि खसरा नम्बर 1417 पर अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं है क्योकि अपीलान्ट स्वयं की भूमि खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1420 जिसका नया खसरा नम्बर 1420/1 जो कि खसरा नम्बर 1417 से लगती हुई है, अपीलान्ट अपनी स्वयं की भूमि पर काबिज

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

है जो बुजुर्गों के समय से काबिज चला आ रहा है। अपीलान्ट स्वयं की भूमि का सीमाज्ञान कराने के उपरान्त यदि अपीलान्ट के कब्जे में खसरा नम्बर 1417 की भूमि का कोई रकबा उसके कब्जे में है तो अपीलान्ट उसको छोडने को तैयार है। इस प्रकार अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 1420 जिसका नया खसरा नम्बर 1420/1 की भूमि का सीमाज्ञान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। योग्य अधीनस्थ हर दो न्यायालयों ने मौके की सही स्थिति का अवलोकन एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन नहीं करते हुये निर्णय पारित कर दिया है। किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 91 एल आर एक्ट के अन्तर्गत निर्णय पारित करने से पूर्व यह देखा जाना आवश्यक है कि व्यक्ति ट्रेसपासर है या नहीं। परन्तु योग्य अधीनस्थ हर दो न्यायालयों ने इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखकर यह निर्णय पारित कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 27.01.2016 मुकदमा नम्बर 121/2015 उनवानी प्रकरण गंगाराम बनाम राजस्थान सरकार व निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा, जिला दौसा दिनांक 28.08.2015 मुकदमा नम्बर 204/2015 उनवानी सरकार बनाम गंगाराम को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा संवत 2072 में वाके ग्राम सिकन्दरा, तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 1417 रकबा 10 बिस्वा पर कास्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अतिक्रमण शुदा रकबे से बेदखल किये जाने व 50 गुणा पैनल्टी कायमी के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में अपील दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2016 द्वारा खारिज कर दी गयी। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पूर्व में आदेशिका दिनांक 26.09.2024 के द्वारा अपीलान्ट के अधिवक्ता को आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करने तथा अन्यथा की स्थिति में पत्रावली का अवलोकन कर एवं वकील रेस्पोडेन्ट की बहस सुनकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाने की हिदायत दी गई। फिर भी अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता अनुपस्थित है। अतः अपील की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अपीलान्ट की अपील मीमों में अंकित तथ्यों एवं गुणावगुण के आधार पर अपील का निस्तारण राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस के आधार पर किया जाना उचित समझते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा संवत 2072 में वाके ग्राम सिकन्दरा, तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 1417 रकबा 10 बिस्वा पर कास्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अपीलान्ट अतिक्रमी है, जबकि कानूनन चारागाह की भूमि पर कास्त कर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी चारागाह की भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.01.2016 एवं अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2015 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.01.2016 एवं अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.08.2015 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 01.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर